मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

12 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उपभोक्ता शुल्क संग्रहण के लिये नीति का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूह को अधिक सक्षम एवं उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया।
    - निर्णय अनुसार पूर्व में उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की स्वीकृति प्राप्त मार्गों में से दो करोड़ से कम वार्षिक संग्रहण आय वाले मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। ऐसे मार्ग का चयन करने के लिये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने ज़िला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया।
    - ज़िला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए मासिक (मानदेय 35 हज़ार रुपए एवं वाहन भत्ता 65 हज़ार रुपए) और ज़िला पंचायत के उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढ़ाकर 42 हज़ार रुपए मासिक (मानदेय 28 हज़ार 500 रुपए एवं वाहन भत्ता 13 हज़ार 500 रुपए) किया जाएगा।
    - जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 19 हज़ार 500 रुपए मासिक एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढ़ाकर 13 हज़ार 500 रुपए मासिक करने का निर्णय लिया गया।
    - इसके अतिरिक्त पंच/उप सरपंच का अधिकतम वार्षिक मानदेय 1800 रुपए किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद ने ग्राम रोज़गार सहायक के भरे पद एवं रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने पर 18 हज़ार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के लिये आवश्यक अतिरिक्त वार्षिक राशि 274 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी। यह राशि स्टांप शुल्क वसूली या गौण खनिज मद से व्यय की जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 8 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, 2 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर/स्नातक विषय प्रारंभ करने की मंजूरी दी है।
    - खंडवा ज़िले के खालवा, भोपाल के फंदा, शहडोल के बाणसागर, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के मंडवास, इंदौर के बेटमा, रीवा के हनुमना और बालाघाट के हट्टा में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाएंगे।
    - साथ ही छतरपुर के बिजावर और सीधी के चुरहट में पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय प्रारंभ किये जाएंगे।
    - इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय रामपुर नैकिन, ज़िला सीधी में आर्ट एंड साइंस, शासकीय महाविद्यालय लामता, ज़िला बालाघाट में आर्ट्स एवं बॉयोलॉजी और शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच में संगीत एवं फाइन आर्ट विषय प्रारंभ किये जाएंगे।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-taken-in-the-meeting-of-madhya-pradesh-council-of-ministers